

अनुदान संख्या 14 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 14-DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1616,50,00		
पूरक	Supplementary	100,02,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	1716,52,00	1458,94,72	-257,57,28
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	99,50,00	99,38,82	-11,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (25757.28 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 10002.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.25757.28 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.10002.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	30934.00		
पू.	S.	7791.00	41984.55	41806.33
पु.	R.	3259.55		-178.22

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	16200.00		
पू.	S.	547.00
पु.	R.	-16747.00		..
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries			
मू.	O.	114126.00		
पू.	S.	1664.00	104875.00	103791.29
पु.	R.	-10915.00		-1083.71

(I) 16767.00 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 16447.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.16767.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these Rs.16447.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी" -

(A) "Telecommunication and Electronics Industries - Electronics"-

(क) "मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण" - 351.00 लाख रु.(51.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(a) "Standardisation Testing and Quality Certification (STQC)" - Rs.351.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.51.00 lakhs);

(ख) "जनशक्ति विकास कार्यक्रम" - 1000.00 लाख रु.;

(b) "Manpower Development Programme" - Rs.1000.00 lakhs;

(ग) "इलेक्ट्रानिकी अभिशासन" - 8100.00 लाख रु.;

(c) "Electronics Governance" - Rs.8100.00 lakhs;

(घ) "जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (लिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)" - 200.00 लाख रु.;

(d) "IT for Masses (Gender, SC/ST)" - Rs.200.00 lakhs;

(ङ) "प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं" - 300.00 लाख रु.;

(e) "Technology Development Council Projects" - Rs.300.00 lakhs;

- (च) “अभिमुखीकरण, संचार और युद्धनीतिक इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम” - 200.00 लाख रु.;
- (छ) “उन्नत परिकलन विकास केंद्र” - 900.00 लाख रु.;
- (ज) “सीईआरटी-इन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित साइबर सुरक्षा” - 400.00 लाख रु.;
- (झ) “राष्ट्रीय जानकारी तंत्र” - 900.00 लाख रु.; और
- (खा) “सचिवालय आर्थिक सेवाएं - सचिवालय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” - 4096.00 लाख रु.(496.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) थे।
- (f) “Convergence, Communication and Strategic Electronics Programme” – Rs.200.00 lakhs;
- (g) “Centre For Development of Advanced Computing (C-DAC)” – Rs.900.00 lakhs;
- (h) “Cyber Security Including CERT-In, IT Act” – Rs.400.00 lakhs;
- (i) “National Knowledge Network” - Rs.900.00 lakhs; and
- (B) “Secretariat Economic Services – Secretariat – National Informatics Centre” – Rs.4096.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.496.00 lakhs).

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग” - 3234.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1879.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5113.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 1087.19 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head “3451” – “Secretariat – Department of Information Technology” - the original provision of Rs.3234.00 lakhs was augmented to Rs.5113.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1879.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1087.19 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage and economy measures.

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग - इलेक्ट्रानिकी - मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण” - 3280.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1663.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4943.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, निधियां जारी किए जाने के लिए निर्धारित अपेक्षाओं/शर्तों को पूरा न

(B) Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries – Electronics – Standardisation Testing and Quality Certification (STQC)” – the original provision of Rs.3280.00 lakhs was augmented to Rs.4943.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1663.00 lakhs which, however, remained unutilised to the

किए जाने के कारण 108.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “इलेक्ट्रानिकी अभिशासन” - 14650.64 लाख रु. की बचत (71900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) “राष्ट्रीय जानकारी तंत्र” - 3100.00 लाख रु. की बचत (9100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और निधियां जारी किए जाने के लिए निर्धारित अपेक्षाओं/शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 140.08 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 78 प्रतिशत और 97 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (9331.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र” - 4244.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4168.52 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी” -

(क) “जनशक्ति विकास (सूचना सुरक्षा शिक्षा, वीएलएसआई डिजाइन, आरआईईएलआईटी, इंटरनेट अभिशासन के लिए विशेष जनशक्ति सहित)” - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 939.08 लाख रु. था।

extent of Rs.108.53 lakhs – due to non-fulfillment of laid down requirements/conditions for release of funds.

(III) Under Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries – Electronics” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Electronics Governance” – saving of Rs.14650.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.71900.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(B) “National Knowledge Network” – saving of Rs.3100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and non-fulfillment of laid down requirement/conditions for release of funds.

(IV) Under two heads savings of Rs.140.08 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 78 percent and 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.9331.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “3451” – “Secretariat – National Informatics Centre” – Rs.4244.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4168.52 lakhs.

(B) Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries – Electronics” -

(a) “Manpower Development (including Information Security Education, Special Manpower for VLSI Design, RIELIT, Internet Governance)” - Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.939.08 lakhs.

- (ख) “उन्नत परिकलन विकास केंद्र” - 3300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3249.00 लाख रु. था।
- (ग) “अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी और अनुसंधान समिति” - 350.00 लाख रु.।
- (घ) “संघटक और सामग्री विकास कार्यक्रम” - 250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 249.54 लाख रु. था।
- (ङ) “स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन कार्यक्रम में इलेक्ट्रानिकी” - 187.00 लाख रु.।
- (II) बचतें मुख्य शीर्ष “2852” - “दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग - इलेक्ट्रानिकी” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) “प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं” - 258.62 लाख रु. का अधिक व्यय (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (खा) “अभिमुखीकरण, संचार और सामरिक इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम” - 157.25 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (गा) “साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित)” - 209.09 लाख रु. का अधिक व्यय (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (घा) “जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (लिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (b) “Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)” – Rs.3300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3249.00 lakhs.
- (c) “Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research (SAMEER)” – Rs.350.00 lakhs.
- (d) “Component and Material Development Programme” – Rs.250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.249.54 lakhs.
- (e) “Electronics in Health and Telemedicine Programme” – Rs.187.00 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2852” – “Telecommunication and Electronics Industries – Electronics” – under the following heads:-
- (A) “Technology Development Council Projects” - excess of Rs.258.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs);
- (B) “Convergence, Communication and Strategic Electronics Programme” - excess of Rs.157.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs);
- (C) “Cyber Security (including CERT-In, IT Act)” - excess of Rs.209.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs); and
- (D) “IT For Masses (Gender, SC/ST)” – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जहां समस्त व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O. 600.00	
पु.	R. -600.00			
मुख्य शीर्ष "4859" दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4859" Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries			
मू.	O. 1050.00		1250.00	1243.57
पु.	R. 200.00			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services			
मू.	O. 8300.00		8700.00	8695.25
पु.	R. 400.00			

(I) 600.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "इलेक्ट्रानिकी - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of 600.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" - "Electronics - Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "मशीनरी और उपस्कर" - 200.00 लाख रु. ; और

(A) "Machinery and Equipments" – Rs.200.00 lakhs; and

(खा) "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र" - 400.00 लाख रु.।

(B) "National Informatics Centre" - Rs.400.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4859" - "इलेक्ट्रॉनिकी - अन्य व्यय - मशीनरी और उपस्कर" - 194.80 लाख रु. का अधिक व्यय (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) Major Head "4859" – "Electronics – Other Expenditure – Machinery and Equipments" – excess of Rs.194.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष "5475" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र" - 395.25 लाख रु. का अधिक व्यय (8300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Major Head "5475" – "Other Expenditure – National Informatics Centre" – excess of Rs.395.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.